कार्यालय जिला रसद अधिकारी (प्रथम), उदयपुर

क्रमांकः—एफ 32( )/रसद/प्राधिकार/2026/ दिनांकः—यथाहस्ताक्षर

— पुनः विज्ञप्ति —

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उदयपुर जिले में उचित मूल्य दुकानों पर दुकानदार नियुक्ति के लिए इच्छुक एवं पात्र व्यक्तियों/संस्थाओं से राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के खण्ड 3(1) के तहत प्राधिकार पत्र जारी किए जाने हेतु कार्यालय की पूर्व विज्ञप्ति दिनांक 28.11.2025 एवं 13.04.2026 द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे, किन्तु पात्र आवेदक उपलब्ध नहीं होने अथवा कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण रिक्त रही निम्नांकित उचित मूल्य दुकानों हेतु विभागीय दिशा—निर्देश क्रमांकः एफ 17(1)खा.वि./विधि/08 दिनांक 17.03.2016 एवं क्रमांकः एफ 17(5)खा. वि./न्याय/महि.आर./2019 दिनांक 25.11.2020 के तहत पुनः आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैः—

क्र. सं.	नाम तहसील/ब्लॉक	ग्राम पंचायत/वार्ड	रिक्त/ नवसृजित	उचित मूल्य दुकान का नाम	एफपीएस कोड	आरक्षण
			नॉन टीएसपी क्षेत्र			
1	बड़गांव	बड़ी	रिक्त	बड़ी	4500	महिला आरक्षित
2	बडगांव	वाटी बी	रिक्त	वाटी बी	4561	महिला आरक्षित
3	भीण्डर	कुंथवास	रिक्त	कुंथवास	4770	महिला आरक्षित
4	भीण्डर	वार्ड—01	रिक्त	वार्ड—01	26549	अनारक्षित
5	भीण्डर	वार्ड—02	रिक्त	वार्ड—02	26544	महिला आरक्षित
6	भीण्डर	सालेडा	रिक्त	सालेडा	4756	अनारक्षित
7	भीण्डर	अमरपुरा जागीर	रिक्त	भावपुरा	4750	अनारक्षित
8	उदयपुर	वार्ड 22 पुराना/37 नया	रिक्त	वार्ड 22 पुराना/37 नया	27186	अनारक्षित
9	उदयपुर	वार्ड 24 पुराना/56 नया	रिक्त	वार्ड 24 पुराना/56 नया	27192	अनारक्षित
10	उदयपुर	वार्ड 35 पुराना/45 नया	रिक्त	वार्ड 35 पुराना/45 नया	20774	महिला आरक्षित
11	उदयपुर	वार्ड 40 पुराना/15 नया	रिक्त	वार्ड 40 पुराना/15 नया	27905	अनारक्षित
12	उदयपुर	वार्ड 05 पुराना/06 नया	रिक्त	वार्ड 05 पुराना/06 नया	27210	अनारक्षित
13	मावली	लोपडा	रिक्त	लोपडा	4689	अनारक्षित
14	मावली	फलीचडा	रिक्त	फलीचडा	4721	महिला आरक्षित
15	मावली	भीमल	रिक्त	भीमल	4654	अनारक्षित
16	फतहनगर सनवाड	फतहनगर सनवाड	रिक्त	वार्ड—09	28819	अनारक्षित
			टीएसपी क्षेत्र			
1	भीण्डर	भोपाखेड़ा	रिक्त	फुसरिया	4780	अनुसूचित जनजाति
2	बारापाल	बलीचा	रिक्त	सेठजी की कुण्डाल	4378	अनारक्षित
3	कुराबड़	कुराबड	रिक्त	कुराबड—ए	4433	अनुसूचित जनजाति
4	कुराबड़	साकरोदा	रिक्त	साकरोदा	4457	अनुसूचित जनजाति
5	कुराबड़	वल्लभ	रिक्त	वल्लभ	4381	अनुसूचित जनजाति
6	कुराबड़	साकरोदा	रिक्त	पाड़ा खादरी	4458	अनुसूचित जनजाति
7	कुराबड	चांसदा	रिक्त	खारवा	4406	अनुसूचित जनजाति

RajKaj Ref No.:
24032586

Digitally signed by MANI KHINCHI
Designation: District Supply Officer
Date: 2026-08-13 21:29:11 IST

v-1.0

उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु आवेदनकर्ताओं की पात्रताऐं निम्नानुसार होगीः–

1. शहरी क्षेत्र की उचित मूल्य दुकान हेतु आवेदक उसी वार्ड का निवासी होना चाहिए, जिस वार्ड के उपभोक्ताओं को राशन सामग्री वितरण करनी है अर्थात् उस उचित मूल्य दुकान की अधिकारिता क्षेत्र में स्थित वार्ड में से किसी एक वार्ड का निवासी होना चाहिए।
   ग्रामीण क्षेत्र की उचित मूल्य दुकान के मामले में आवेदक उसी पंचायत के किसी भी ग्राम या वार्ड का निवासी होना आवश्यक है, जिस पंचायत में उचित मूल्य दुकान स्थित है। एक से अधिक योग्य आवेदन पत्रों के प्राप्त होने की स्थिति में वरियता उसी वार्ड के निवासी को दी जायेगी, जिसमे उचित मूल्य दुकान स्थित है।
2. उचित मूल्य दुकान हेतु सभी श्रेणी के आवेदको की उम्र 21 से 45 वर्ष होनी चाहिए अर्थात् उचित मूल्य दुकान की आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि को आवेदक की आयु 21 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
3. आवेदक की शैक्षणिक योग्यता स्नातक एवं कम्प्यूटर में राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (RKCL) या अन्य समकक्ष सरकारी संस्थान का 3 माह आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। यदि उचित मूल्य दुकानों के आवेदको में कोई भी आवेदक स्नातक स्तर की शैक्षणिक योग्यता नहीं रखता है, तो ऐसी स्थिति में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण आवेदको के प्रार्थना पत्रों को आवंटन हेतु स्वीकार किया जा सकेगा। यदि आवेदक कम्प्यूटर में प्रशिक्षण प्राप्त नही हो तो आवेदन के साथ आवेदक से यह घोषणा पत्र भी लिया जावेगा, कि वह चयनित होने के छः माह की अवधि में ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त कर लेगा व ऐसे चयनित व्यक्ति को प्रशिक्षण प्राप्ति के बाद ही प्राधिकार पत्र दिया जावेगा।
4. उचित मूल्य दुकान हेतु आवेदन करने वाले पुरूष/महिला के दिनांक 1 जनवरी 2015 के बाद पैदा हुई संतान सहित दो से अधिक संतान नहीं होनी चाहिए। निर्धारित तिथि पश्चात दो से अधिक संतान होने की स्थिति में कोई भी व्यक्ति आवेदन का पात्र नहीं होगा। उचित मूल्य दुकान आवंटन होने के पश्चात भी यदि किसी उचित मूल्य दुकानदार के तीसरी संतान होती है तो ऐसे उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र निरस्तनीय होगा, परन्तु किसी आवेदक के दिनांक 31.12.2014 को एक ही संतान है तथा पश्चातवर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतान पैदा होती है तो संतानों की गणना करते समय इस प्रकार एक प्रसव से पैदा हुई संतानों को एक इकाई ही समझा जायेगा।
5. आवेदक द्वारा निम्न बिन्दुओं को अंकित करते हुए एक घोषणापत्र लिया जावेगा जिसमें आवेदक द्वारा घोषणा की जावेगी किः–
   - आवेदक पूर्व में ईसी एक्ट के तहत दण्डित नहीं हुआ है।
   - आवेदक द्वारा दुकान का संचालन स्वयं किया जावेगा।
   - आवेदक के परिवार में किसी सदस्य यथा माता–पिता पुत्र एवं पुत्री के नाम से पूर्व में कोई उचित मूल्य की दुकान नहीं है।
   - आवेदक को विधिक रूप से अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।
   - आवेदक बालिग एवं स्वस्थचित्त है, चाल–चलन अच्छा है तथा कभी दिवालिया घोषित नहीं हुआ है।
   - आवेदक द्वारा दिनांक 01.01.2015 के बाद दो से अधिक संतान नहीं होने का स्पष्ट कथन किया जायेगा।
   - आवेदक अथवा पदाधिकारी (महिला स्वंय सहायता समूह/ग्राम सहकारी समिति/लैम्पस/दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के मामले में) के घर में कार्यशील शौचालय है।
6. आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ स्वयं के नाम पर संबंधित तहसीलदार द्वारा जारी न्यूनतम 1,00,000/– रूपये का हैसियत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावेगा। महिला स्वंय सहायता समूह के लिए कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता की अभिशंषा सहित समूह की वित्तीय हैसियत न्यूनतम 25,000/– रूपये होना आवश्यक है।
7. महिला स्वयं सहायता समूह जो राज्य सरकार के महिला अधिकारिता विभाग से चयनित अथवा मान्यता प्राप्त है। आवेदक महिला स्वंय सहायता समूह के लिए तीन वर्ष का कार्यानुभव आवश्यक है। आवेदक महिला स्वंय सहायता समूह को तीन वर्ष का कार्यानुभव के आंकलन के निम्न आधार होंगेः–

- समूह का गठन कम से कम तीन वर्ष पूर्व का हो।
- समूह का कम से कम तीन वर्ष पूर्व बैंक में खाता खुला हो।
- समूह के सदस्य तीन वर्षो से आंतरिक लेन–देन में संलग्न हो।

8. ग्राम सेवा सहकारी समिति/लैम्पस (बृहत्तर क्षेत्रीय बहुउद्देदशीय सहकारी समिति)/दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति जो कि सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है।
9. आवेदक/समितियो/समूह/निकाय में सचिव/प्रबंधक का कम्प्यूटर दक्षता एवं शैक्षणिक योग्यताओ को पूर्ण करना अनिवार्य होगा। इस बाबत् प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
10. आवेदक द्वारा दी गई सूचनांए गलत पाये जाने पर आवंटन रद्द करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा।
11. उक्त रिक्तियों में कमी/बढौतरी/संशोधन कार्यालय द्वारा किया जा सकता है तथा रिक्तियों को भरने/ना भरने के संबंध में कार्यालय का निर्णय अन्तिम होगा।
12. सभी रिक्त/अरिक्त दुकानों हेतु आवेदन निर्धारित अवधि में पूर्ण दस्तावेज के साथ आवेदको को कार्यालय में जमा करवाने होंगे। पूर्व में जारी विज्ञप्ति के तहत् जमा आवेदन पत्र मान्य नहीं हैं।

आवेदन पत्र दिनांक 17.08.2026 से 07.09.2026 तक (राजकीय अवकाश को छोड़कर) कार्यालय समय में जिला रसद कार्यालय प्रथम, उदयपुर में 100 रूपये का भारतीय पोस्टल ऑर्डर जमा कराकर प्राप्त किए जा सकते है। किसी अन्य स्थान से प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे। भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 30.09.2026 को सायं 06:00 बजे तक निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करवाए जा सकेंगे।

दिनांक 17.03.2016 एवं 25.11.2020 के दिशा–निर्देश तथा रिक्त उचित मूल्य दुकानों के संबंध में विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाईट food.raj.nic.in व जिला रसद कार्यालय, उदयपुर में अवलोकन हेतु उपलब्ध है।

(मणि खींची)
जिला रसद अधिकारी
(प्रथम) उदयपुर

प्रतिलिपिः–

1. श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव महोदय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान् अतिरिक्त खाद्य आयुक्त महोदया, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, उदयपुर।
4. श्रीमान् विशिष्ट सहायक महोदय, माननीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
5. माननीय सांसद महोदय, उदयपुर/चित्तौड़गढ़।
6. माननीय विधायक महोदय, समस्त, जिला उदयपुऱ।
7. आयुक्त महोदय, नगर निगम, उदयपुर।
8. उपखण्ड अधिकारी महोदय, समस्त, जिला उदयपुऱ।
9. तहसीलदार, समस्त, जिला उदयपुऱ।
10. विकास अधिकारी, समस्त पंचायत समिति, जिला उदयपुर।
11. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, समस्त, जिला उदयपुऱ।
12. उप निदेशक महोदय, जिला सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय, उदयपुर को भेजकर निवेदन है कि इसे न्यूज आइटम के रूप में स्थानीय समाचार पत्रो में निःशुल्क प्रकाशन करावें।
13. ए.सी.पी. महोदय, खाद्य विभाग जयपुर को भेजकर अनुरोध है कि उक्त विज्ञप्ति को विभाग की वेबसाईट food.raj.nic.in पर अपलोड करावें।
14. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी महोदय, उदयपुर को भेजकर अनुरोध है कि उक्त विज्ञप्ति को जिले की अधिकृत वेबसाईट पर अपलोड करावें।
15. रक्षित पत्रावली।

जिला रसद अधिकारी
(प्रथम) उदयपुर

RajKaj Ref No.: 24032586

Digitally signed by MANI KHINCHI
Designation: District Supply Officer
Date: 2026-08-13 21:29:11 IST

v-1.0